

**COVID-19 के लिए कार्यकारी आदेश**  
**(COVID-19 कार्यकारी आदेश सं. 20)**

**जबकि**, कोरोनावायरस 2019 (COVID-19) एक नवीन गंभीर तीक्ष्ण श्वसन रोग है जो व्यक्तियों में श्वसन संचारों के माध्यम से फैल सकता है और इन्फ्लुएंज़ा जैसे लक्षण उत्पन्न करता है; और,

**जबकि**, कुछ ही समय में, COVID-19 तेजी से पूरे इलिनॉय में फैल गया, इसलिए संघीय, राज्य और स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा अद्यतन जानकारी और अधिक सख्त मार्गदर्शन दिए जाने की आवश्यकता है; और,

**जबकि**, सामाजिक दूरी, जिसमें लोगों के बीच कम-से-कम छह फुट की दूरी बनाए रखना आवश्यक होता है, कोविड-19 (COVID-19) के प्रसार को न्यूनतम करने की सर्वोपरि रणनीति है और जैसे-जैसे इसके मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे समुदायों में भी सामाजिक दूरी के कठोर उपाय आवश्यक हो चले हैं जहां अभी तक पुष्ट मामलों की पहचान नहीं हुई है; और,

**जबकि**, इलिनॉय में कोविड-19 (COVID-19) के मामले विस्फोटक गति से तथा इलिनॉय में अधिकाधिक स्थानों पर बढ़ रहे हैं और परिणामस्वरूप मौतों की संख्या बढ़ रही है; और,

**जबकि**, मैं, जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), इलिनॉय का राज्यपाल (गवर्नर), ने COVID-19 के प्रकोप की प्रतिक्रिया में 9 मार्च, 2020 को इलिनॉय राज्य की समस्त काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया था (पहला राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (द फर्स्ट ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन)); और,

**जबकि**, मैंने कोविड-19 (COVID-19) के विस्फोटक फैलाव की प्रतिक्रिया में 1 अप्रैल, 2020 को पुनः इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया (द्वितीय राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (सेकंड ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन), और, प्रथम राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (फर्स्ट ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन) के साथ, राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाएं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स)); और,

**जबकि**, मैं संपूर्ण इलिनॉय राज्य में जन स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का संरक्षण करने के लिए, हमारी स्वास्थ्य देखभाल प्रदायगी प्रणाली रोगियों की सेवा करने में सक्षम हो यह सुनिश्चित करने के लिए, और इस सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के दौरान जो मौतें हुई हैं उनके लिए उपयुक्त ढंग से अत्येष्टि सेवाएं प्रदान की जा सकें यह सुनिश्चित करने के लिए, अतिरिक्त उपाय करना आवश्यक पाता हूँ; और,

**जबकि**, सामाजिक दूरी के दिशानिर्देशों, आवश्यक कार्यों के सिवाय घर पर ही रहने का आदेश, व्यापक दूरकार्य (टेलिवर्किंग), और कई सरकारी एवं व्यापारिक प्रकार्यों के न्यूनतम आवश्यक संचालनों तक घटकर रह जाने के कारण कुछ सरकारी समय-सीमाओं का पालन करने और कुछ आमने-सामने की एवं अन्य आवश्यकताओं का पालन करने के संबंध में चुनौतियां उठ खड़ी हुई हैं;

**अतः**, इलिनॉय राज्य के राज्यपाल के रूप में मुझे प्राप्त शक्तियों द्वारा, इलिनॉय आपातकाल प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (इलिनॉय एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी एक्ट), 20 ILCS 3305 की धाराओं 7(1), 7(2), 7(8), 7(12) के अनुसरण में, मैं एतद्वारा निम्नलिखित आदेश देता हूँ:

**अनुभाग 1.** नगर-क्षेत्र संहिता (टाउनशिप कोड), 60 ILCS 1/30-5(a) और 30-5(b) के वे उपबंध जो प्रत्येक नगर-क्षेत्र (टाउनशिप) की कैलेंडर वर्ष 2020 की वार्षिक नगर-क्षेत्र बैठक (टाउनशिप मीटिंग) को 14 अप्रैल, 2020 या 21

अप्रैल, 2020 को आयोजित करना आवश्यक करते हैं, राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) की संपूर्ण अवधि के लिए स्थगित किए जाते हैं।

अनुभाग 2: अंत्येष्टि निदेशक एवं शवलेपक लाइसेंसिंग संहिता (फ़्यूनरल डाइरेक्टर्स एंड एम्बामर्स लाइसेंसिंग कोड) का अनुभाग 10-35, 225 ILCS 41/10-35, जो यह कहता है कि किसी भी अंत्येष्टि निदेशक और शवलेपक प्रशिक्षु के लाइसेंस का दो से अधिक बार नवीकरण नहीं किया जाएगा, राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) की संपूर्ण अवधि के दौरान स्थगित किया जाता है। अनुज्ञापियों (लाइसेंसिज़) को वित्तीय एवं वृत्तिक नियमन (डिपार्टमेंट ऑफ़ फ़ाइनेंशियल एंड प्रोफ़ेशनल रेगुलेशन) द्वारा निर्धारित अन्य नवीकरण आवश्यकताओं को संतुष्ट करना होगा।

अनुभाग 3: अंत्येष्टि निदेशक एवं शवलेपक लाइसेंसिंग संहिता (फ़्यूनरल डाइरेक्टर्स एंड एम्बामर्स लाइसेंसिंग कोड) के अनुभाग 1-15 एवं 1-20, 225 ILCS 41/1-15 एवं 225 ILCS 41/1-20, जो यह आवश्यक करते हैं कि मानव-मृतकावशेषों का किसी कब्रिस्तान, श्मशान या शवदाहगृह अथवा अंतिम निपटान के अन्य स्थान को परिवहन किसी अनुज्ञापी (लाइसेंसि) के तुरंत प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अंतर्गत होगा, राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) की संपूर्ण अवधि के दौरान लाइसेंसशुदा अंत्येष्टि निदेशक प्रशिक्षुओं के संबंध में स्थगित किए जाते हैं। लाइसेंसशुदा अंत्येष्टि निदेशक प्रशिक्षुओं को अंत्येष्टि निदेशक एवं शवलेपक संहिता (फ़्यूनरल डाइरेक्टर्स एंड एम्बामर्स लाइसेंसिंग कोड) और इलिनॉय प्रशासनिक संहिता (इलिनॉय एडमिनिस्ट्रेटिव कोड), 68 IAC 1250 के अनुच्छेद 68, पार्ट 1250 में उपस्थित इसके संलग्न उपबंधों द्वारा निर्धारित अन्य सभी आवश्यकताएं संतुष्ट करनी होंगी।

Section 4: राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) की संपूर्ण अवधि के दौरान और उसके समापन पश्चात साठ दिनों के लिए, बाल देखभाल अधिनियम 1969 (चाइल्ड केयर एक्ट ऑफ़ 1969) के अनुभाग 2.01, 225 ILCS 10/2.01 के अंतर्गत, “बच्चे” की परिभाषा यह सुनिश्चित करने के सीमित प्रयोजन से स्थगित की जाती है कि इलिनॉय बाल एवं परिवार सेवाएं विभाग (इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ चिल्ड्रेन एंड फ़ैमिली सर्विसेस) की देखभाल में मौजूद 18 वर्ष या अधिक की आयु वाले ऐसे लोगों जो बाल देखभाल अधिनियम 1969 (चाइल्ड केयर एक्ट ऑफ़ 1969) में निर्धारित स्थापनों में हैं, को अपने स्थापन में बने रहने की अनुमति हो।

अनुभाग 5. स्वास्थ्य देखभाल कर्मी पृष्ठभूमि जांच अधिनियम (हेल्थ केयर वर्कर बैकग्राउंड चैक एक्ट), 225 ILCS 46/33(e), और संलग्न विनियमों की यह आवश्यकता कि पदनामित विद्यार्थियों, आवेदकों, और कर्मचारियों को 10 कार्य दिनों के अंदर उनके अंगुलियों के निशानों का इलेक्ट्रॉनिक विधि से एकत्रण करवाना होगा और इलिनॉय राज्य पुलिस विभाग (इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ स्टेट पुलिस) को भेजना होगा, राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) की संपूर्ण अवधि के दौरान स्थगित की जाती है, बशर्ते किसी CNA प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामांकन होने या नियुक्ति आरंभ होने के 30 कार्य दिनों के अंदर अंगुलियों के निशान भेज दिए जाएं।

व्यावृत्ति खंड (सेविंग्स क्लॉज़)। यदि इस कार्यकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या उपयोग को किसी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता किसी अन्य प्रावधान या इस कार्यकारी आदेश के आवेदन को प्रभावित नहीं करती है, जिसे बिना अवैध प्रावधान के या प्रभाव के दिया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस कार्यकारी आदेश के प्रावधानों को गंभीर घोषित किया गया है।

---

जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), राज्यपाल (गवर्नर)

राज्यपाल (गवर्नर) द्वारा जारी 7 अप्रैल, 2020

राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) द्वारा दायर 7 अप्रैल, 2020